भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3459
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति निधि का आबंटन

3459. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति निधियों के आबंटन का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मांग की गई धनराशि कितनी है; और
(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में संस्वीकृत की गई धनराशि कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं /कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजनाबद्ध तंत्र के आधार पर निधियां उपलब्ध कराई जाती है। संबंधित योजना /कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। इसलिए, इस संबंध में कुल मिलाकर व्यक्ति -वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों को निधियां , राज्यों के पास उपलब्ध शेष निधियां , योजनाबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज/उपयोगिता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने , योजनाओं के अंतर्गत पहले से आवंटित निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने , योजनाबद्ध दिशा -निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के आधार पर जारी की जाती है। इसलिए , राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई निधियों का विशिष्ट रूप से ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

*****